जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
55/2016

अपील सूचना अधिकार संख्या 55/2016 अनवानी श्री राकेश कुमार पुत्र श्री कृष्णलाल निवासी गांव [illegible] तहसील व जिला श्रीगंगानगर बनाम श्री हरभजन सिंह, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

[illegible]-12-2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी के अभिभाषक श्री वेदप्रकाश गर्ग उपस्थित है। जिला रसद अधिकारी के प्रतिनिधि श्री संदीप गोड प्रवर्तन अधिकारी उपस्थित है। दोनो पक्षो को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी के अभिभाषक का कथन है कि अपीलार्थी के द्वारा चाही गई सूचनांए लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा उपलब्ध नही करवाई है जो सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उपलब्ध करवाने में कोई रोक नही है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनांए उपलब्ध करवाई जावे।

इसके विपरीत प्रतिनिधि का कथन है कि कोई भी राशनकार्ड धारक अपने से संबंधित प्रविष्टियों की जानकारी ले सकता है। सभी योजनाओ के स्टॉक/वितरण रजिस्टर बाबत उपभोक्त मामले, सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 20.03.2015 जो समस्त भारत में लागू है के खण्ड 10 के उपखण्ड 5 के अनुसार कोई राशनकार्डधारी अपनी सूचना ले सकता है। अन्य किसी को सूचनांए दिये जाने का प्रावधान नही है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनांए उपलब्ध नही करवाई जा सकती। अतः अपील अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

मैने दोनो पक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 16.02.2016 के द्वारा जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:–

1. राशन डिपों मदेरॉ मे खाध्य सुरक्षा योजना में पात्र परिवारों की प्रमाणित प्रतिलिपी जो की डिपो को दी गयी है।
2. खाध्य सुक्षरा योजना में डीलर भूपसिंह मदेरॉ को प्रतिमाह गेहूँ के आवंटन की जनवरी 2015 से जून 2015 तक की प्रमाणित प्रतिलिपी।
3. डिपो मदेरॉ में डीलर द्वारा वितरण की गई वस्तुओं के रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि।
4. राशन डिपो को जनवरी 2015 से जून 2015 तक कुल आवंटित कैरोसीन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपी, प्रत्येक कार्ड पर कितना कैरोसिन दिया जाता है के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपी।
5. डिपो मदेरॉ मे वर्ष 2012 से जून 2015 तक प्रतिमाह कैरोसिन जो आवंटित किया गया की प्रतिलिपी जनवरी 2015 से जून 2015 तक वितरण रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपी।
6. डिपो मदेरॉ मे वर्ष 2012 से जून 2015 तक आवंटित कनक व चीनी जो आवंटित की गई की प्रमाणित प्रतिलिपी जनवरी 2015 से जून 2015 तक वितरण रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपी।

उक्त सूचनांओ के संबंध में अपीलार्थी की अपील पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपना प्रतिवेदन सं0 2555 दिनांक 07.04.2016 प्रस्तुत किया है कि उक्त सूचनांए कार्यालय में उपलब्ध नही होने के कारण राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2''च'' व 7(9) का प्रयोग करते हुए आवेदक का आवेदन निरस्त कर नियत समय अवधि में उनके कार्यालय के पत्र कमांक 1221 दिनांक 10.03.2016 द्वारा अपीलार्थी को सूचित कर दिया गया था।

[illegible] कलैक्टर
[illegible]गानगर

 जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

55/2016

A3/2

जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर ने पत्र सं0 1221 दिनांक 10.03.2016 से अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचित किया गया है:–

> आप द्वारा चाही गई उक्त सूचनांए जिस प्रारूप में चाही है कार्यालय में उस प्रारूप में संधारित नही है। अतः उक्त सूचना के संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2"च" में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रैस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़ो संबंधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नो के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है।
>
> इस प्रकार खोजकर खोजे गये तथ्यो के आधार पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना का अधिकार के तहत नही आता। सूचनांए एकत्रित कर उपलब्ध करवाना ऐसा कार्य है जो कार्यालय के संसाधनो को अनुपातिक रूप से विचलित करता है। अतः आरटीआई में धारा 7(9) में ऐसी सूचना उपलब्ध कराया जाना वर्जित है। अतः आपका आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।

जहां तक भारत सरकार के जिस राजपत्र का सन्दर्भ विभागीय प्रतिनिधि ने अपनी बहस में दिया है का संबंध है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्य सभी विधियों पर प्रभावी है। इसलिए उक्त राजपत्र दिनांक 20.03.2015 के आधार पर सूचना देने से मना नही किया जा सकता और न ही इस आधार पर सूचना देने से ईन्कार किया है। चूंकि सूचना का अधिकार अधिनियम सभी विधियों पर प्रभावी है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनांओ के संबंध में सूचना अधिकार अधिनियम के तहत ही निर्णय लिया जाना चाहिए।

अपीलार्थी द्वारा राशन डिपू मदेरा के खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र परिवारो की प्रतिलिपि, गेहूं एवं मिटी के तेल के आवंटन आदेश वितरण रजिस्टर की सूचना चाही है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उपलब्ध अभिलेख के अनुसार चाही गई सूचना अगर सूचना का अधिकार अधिनिमय के अन्तर्गत देय की श्रेणी में आती है तो वह अवश्य दी जानी चाहिए। इसलिए इस प्रकरण को रिमाण्ड करना उचित समझते है। अतः मामला लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता हैं कि उक्त दिए गए निर्देशो के अनुसार कार्यवाही करें और प्रत्येक सूचना का बिन्दुवार ही उत्तर दिया जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

8-9 / 2-1-17

आदेश आज दिनांक 20.12.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर